(6)

राजस्व वाद संख्याः– 296 / 2016
राजस्थान सरकार बनाम प्रभुराम आदि
निर्णय दिनांकः– 26.10.2021.

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 296 / 2016

राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ़ – वादी

बनाम

1. प्रभुराम पुत्र गोकल, जाति मेघवाल, निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. राजकुमार पुत्र प्रभुराम, जाति मेघवाल, निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. बीरबल पुत्र लीलू, जाति मेघवाल, निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. हनुमान पुत्र सोहनराम, जाति मेघवाल, निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. रामेश्वर पुत्र चन्द्राराम, जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. किशनलाल पुत्र हनुमान प्रसाद, जाति ब्राहमण निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
7. धन्नाराम पुत्र बनवारीलाल जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. लीलाराम पुत्र बनवारीलाल जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. जयकरण पुत्र बनवारीलाल जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. झण्डुराम पुत्र इन्द्राज जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

11. गोविन्द्रराम पुत्र मूलाराम जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
12. रामकरण पुत्र कन्हीराम, जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
13. लीलाराम पुत्र सागरमल जाति नाई निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
14. हीराराम पुत्र बीरबल जाति मेघवाल, निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
15. जयकरण पुत्र बीरबल जाति मेघवाल, निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
16. दलीप पुत्र बीरबल जाति मेघवाल, निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
17. मामराज पुत्र गणेशाराम, जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
18. फताराम पुत्र गणेशाराम, जाति कुमावत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
19. राजेन्द्र पुत्र श्योचन्द जाति नट निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
20. जितेन्द्र कुमार पुत्र श्योचन्द जाति नट निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
21. मनोज कुमार पुत्र श्योचन्द जाति नट निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
22. कृष्ण कुमार पुत्र श्योचन्द जाति नट निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
23. कमलेश कुमार पुत्र कुरड़ाराम जाति नाई निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
24. मुन्ना खां पुत्र रमजान खां, जाति राणा निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

(8)

राजस्व वाद संख्याः– 296/2016
राजस्थान सरकार बनाम प्रभुराम आदि
निर्णय दिनांकः– 26.10.2021.

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय ::

दिनांक – 20.10.2021

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि

(क) वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित धारा 1 वादपत्र, को खुर्द बुर्द नही करें।

(ख) अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं धारा 289 आ0टी0एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये नोटिस बोर्ड तहसील कार्यालय सूरजगढ़, पंचायत समिति कार्यालय सूरजगढ़, नगरपालिका सूरजगढ़, तथा ग्रम पचायत जाखोद पर चस्पानगी से की गयी। प्रतिवादी सं0 3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,17,18,20,21,22,24 की ओर से श्री हवासिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नही आये, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 03,05,06,09,12,14,24 की ओर से श्री हवासिंह एडवोकेट ने जवाब पेश किया गया जो शामील पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 07,08,10,11,17,18,20,21 एवं 22 सूचना होने के बावजूद जवाब देने के लिये उपस्थित नही आये इसलिये श्री हवासिंह एडवोकेट ने अपना वकालत नामा आदेशिका पर नोटप्रेस किया है अतः शेष प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया। राजकीय पैरोकार ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। आदेशिका पर सम्बन्धित ने हस्ताक्षर किये।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2070–73, नक्शा ट्रेस, बिजली के बिल पेश किये गये जिन पर प्रर्दश संख्या 1 लगायत 6 अंकित किये गये।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: **आदेश**::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 150 रकबा 2.04 हैक्टर स्थित ग्राम जाखोद तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण के इकबालिया बयान से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया है।

अतः धारा 178 राजस्थान काश्त कारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी संख्या 03, पर 1000 रूपये की शास्ती तथा प्रतिवादी संख्या 05,06,09,12,14 एवं 24 पर राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के अनुसार व्यक्तिशः 2 रूपये प्रति वर्ग मीटर की शास्ती अधिरोपित कि जाती है।

प्रतिवादी संख्या 03,05,06,09,12,14 एवं 24 के द्वारा अपने आवासीय मकानात के बिजली के बिल भी प्रदर्श संख्या 1 लगायत 6 प्रस्तुत किये गये जिससे इनका प्रतिकूल कब्जा प्रथम दृष्टया सिद्व होता है। राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट भी प्रतिकूल कब्जे को सिद्व करती है। उक्त विवेचन के आधार पर राज्य सरकार राजस्थान राजस्व ग्रुप 06 विभाग की अधिसूचना के मध्यनजर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का राज0 अधि0 15) की धारा 90क के साथ पठित धारा 261 की उप धारा 2क खण्ड (xi-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

के लिए संपरिवर्तन हेतु नियम बनाती है जिसे संक्षेप में राजस्थान भू—राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के अधीन प्रतिवादी संख्या 03,05,06,09,12,14,24 के प्रतिकूल कब्जे वाली भूमि को गैर मुमकिन आबादी घोषित किया जाता है। अन्य प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष सिद्व करने में असफल रहे है इसलिए वे अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है।अतः शेष रकबे को सिवायचक (राजस्व कार्यालय हेतु आरक्षित) किया जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे खसरा न0 150 वाके ग्राम जाखोद को नियमानुसार व आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें । अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रा0वि0 एवं पं0 राज के कमांक एफ4(78) सिवायचक / नियमन / विधि / पंरा / 2017 / 1469 जयुपर दिनांक 31.11.2017 के आदेशानुसार नियमानुसार एवं विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलैकटर
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलैकटर
सूरजगढ़

(10)

राजस्व वाद संख्या:- 296/2016
राजस्थान सरकार बनाम प्रभुराम आदि
निर्णय दिनांक:- 26.10.2021.

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.- 296/2016

निर्णय दिनांक :- **26-10-2021**

राजस्था सरकार बनाम प्रभुराम आदि

दावा बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से **सरकारी पैरोकार** व प्रतिवादी सं. 03,05,06,09,12,14,24 की ओर से **श्री हवासिंह एडवोकेट** की उपस्थिती एवं शेष प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **26.10.21** को **दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 150 रकबा 2.04 हैक्टर स्थित ग्राम जाखोद तहसील सूरजगढ में राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट , मौका फर्द, प्रतिवादीगण के इकबालिया बयान से यह स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि जो कि कृषि भूमि है, का अकृषि प्रयोग किया गया है।

अतः धारा 178 राजस्थान काश्त कारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी संख्या 03, पर 1000 रूपये की शास्ती तथा प्रतिवादी संख्या 05,06,09,12,14 एवं 24 पर राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के अनुसार व्यक्तिशः 2 रूपये प्रति वर्ग मीटर की शास्ती अधिरोपित कि जाती है।

प्रतिवादी संख्या 03,05,06,09,12,14 एवं 24 के द्वारा अपने आवासीय मकानात के बिजली के बिल भी प्रदर्श संख्या 1 लगायत 6 प्रस्तुत किये गये जिससे इनका प्रतिकूल कब्जा प्रथम दृष्टया सिद्व होता है। राजकीय पैरोकार की रिपोर्ट भी प्रतिकूल कब्जे को सिद्व करती है। उक्त विवेचन के आधार पर राज्य सरकार राजस्थान राजस्व ग्रुप 06 विभाग की अधिसूचना के मध्यनजर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का राज0 अधि0 15) की धारा 90क के साथ पठित धारा 261 की उप धारा 2क खण्ड (xi-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन हेतु नियम बनाती है जिसे संक्षेप में राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के अधीन प्रतिवादी संख्या 03,05,06,09,12,14,24 के प्रतिकूल कब्जे वाली भूमि को गैर मुमकिन आबादी घोषित किया जाता है। अन्य प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष सिद्व करने में असफल रहे है इसलिए वे अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

प्राप्त करने के अधिकारी नही है।अतः शेष रकबे को सिवायचक (राजस्व कार्यालय हेतु आरक्षित) किया जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे खसरा न0 150 वाके ग्राम जाखोद को नियमानुसार व आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करें । अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रा0वि0 एवं पं0 राज के कमांक एफ4(78) सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1469 जयुपर दिनांक 31.11.2017 के आदेशानुसार नियमानुसार एवं विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **26.10.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़